राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3245/2024

आशीष कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त ग्रामीण, जयपुर।
4. सुमन मोरदिया, तहसीलदार, सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी, मुख्यालय जयपुर, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.11.2024
आदेश की दिनांक : 24.12.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को तहसीलदार के पद पर भू–अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त ग्रामीण, जयपुर में कार्य करने के आदेश प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार भू–अवाप्ति अधिकारी के पद पर वृत्त ग्रामीण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर, जिला जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक

28.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के स्थान पर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, मुख्यालय जयपुर, जिला जयपुर में किया गया है। अपीलार्थी का तर्क है कि आदेश दिनांक 30.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन तहसीलदार आदेशों के प्रतीक्षाधीन मुख्यालय राजस्व मण्डल, अजमेर से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 07.10.2024 के द्वारा कार्यग्रहण किया और कार्यग्रहण करने मात्र 24 दिवस की अल्पावधि में ही अपीलार्थी का पुनः स्थानांतरण कर दिया गया। उनका यह भी तर्क है कि आदेश दिनांक 03.10.2024 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानांतरण तहसीलदार एपीआरटी, टोंक, जिला टोंक में स्थानांतरण किया गया था, जहां पर कार्यग्रहण नहीं किया और इसके पश्चात् आदेश दिनांक 15.10.2024 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को स्थानान्तरणाधीन मानते हुये सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, मुख्यालय जयपुर, जिला जयपुर में पदस्थापन किया गया और आलोच्य आदेश के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अनुचित रूप से समायोजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया, जो विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को तहसीलदार के पद पर भू–अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त ग्रामीण, जयपुर में कार्य करने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण नियमानुसार किया गया है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त स्थानांतरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी भी कार्मिक को अनुचित लाभ दिये जाने के आशय से जारी नहीं किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपीलार्थी प्रशासनिक पद पर कार्यरत है और प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर अपीलार्थी को पदस्थापित किया गया है, जिसमें अपीलार्थी का मुख्यालय परिवर्तन नहीं किया गया है और इस प्रकार उक्त आलोच्य आदेश स्थानांतरण आदेश नहीं है। आदेश दिनांक 03.10.2024 जिसके द्वारा जयपुर से टोंक स्थानांतरण किया गया था तथा उसे कार्यमुक्त नहीं किया गया। अपीलार्थी के साढे

चार वर्ष का बालक है और अपीलार्थी कई तरह की बीमारियों से पीडित है, जिसके कारण अपीलार्थी को टोंक से जयपुर पदस्थापित किया गया। आदेश दिनांक 28.10.2024 की पालना में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 ने कार्यग्रहण कर लिया है और इस प्रकार अपीलार्थी को भी उक्त आदेश की पालना में दिनांक 04.11.2024 को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार भू–अवाप्ति अधिकारी के पद पर वृत्त ग्रामीण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर, जिला जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के स्थान पर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, मुख्यालय जयपुर, जिला जयपुर में किया गया है। जहां तक उक्त आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है, पत्रावली पर प्रस्तुत आदेश दिनांक 30.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन तहसीलदार आदेशों के प्रतीक्षाधीन मुख्यालय राजस्व मण्डल, अजमेर से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 07.10.2024 के द्वारा कार्यग्रहण किया और कार्यग्रहण करने मात्र 24 दिवस की अल्पावधि में ही अपीलार्थी का पुनः स्थानांतरण कर दिया गया। इस प्रकार के स्थानान्तरण आदेश को अल्पावधि में जारी किया जाना माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामेश्वर प्रसाद गुर्जर वाले मामले में अनुचित माना है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित किये जाने के आशय से अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 03.10.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानांतरण तहसीलदार एपीआरटी, टोंक, जिला टोंक में स्थानांतरण किया गया था, जहां पर कार्यग्रहण नहीं किया और इसके पश्चात् आदेश दिनांक 15.10.2024 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को स्थानान्तरणाधीन मानते हुये सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, मुख्यालय जयपुर, जिला जयपुर में पदस्थापन किया गया और आलोच्य आदेश के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अनुचित रूप से समायोजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया। इस प्रकार के स्थानान्तरण आदेशों को

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार शर्मा वाले मामले में अनुचित माना है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है। अधिकरण द्वारा उक्त अपील में जारी अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 05.11.2024 की पुष्टि (confirm) की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य